2025/136

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

राजकुमार बनाम ग्राम पंचायत महियावाली व कृष्ण कुमार

निगरानी प्रकरण सं037/2025

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :– ओमप्रकाश बतरा   अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ताः–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
11.08.2025	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 को पाबन्द किया जाता है कि कि आगामी तारीख पेशी तक ग्राम पंचायत महियावाली के द्वारा जारी पट्टा संख्या 99 दिनांक 07.03.2018 जो गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के नाम जारी किया गया है के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। निगरानीकर्ता आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 03.09.2025 को पेश हो। [signature] अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर	16(1) 13/8/25
03/9/25	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। T.I. की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। रेस्पो० न० 02 की ओर से अधिवक्ता महीपाल जोशी ने वकालतनामा पेश किया, जो शा. मिसल हो। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है, पत्रावली आयन्दा दिनांक 07/10/25 को पेश हो। [signature]	
7/10/2025	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक की निगरानी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो रिकॉर्ड तलबी हेतु निश्चित है, उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीर्ता का आपस में राजीनामा हो गया है, इस कारण निगरानीकर्ता कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है, साथ ही निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर उक्त निगरानी में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण हस्तगत निगरानी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] आदेश सुनाया गया।	[illegible] 7/10/25

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner